न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

डॉ. अंजलि राजोरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
02/2024	2024/10	07.05.2024	14.06.2024

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ :— प्रार्थी

—: बनाम :—

श्री गुडेश सेन, रामदेव खाद बीज भण्डार, धरियावद रोड :— अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्क वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत</u>

उपस्थिति :—
1. श्री पेरोकार सरकार
2. श्री दिनेश चन्द्र तेलकार (अधिवक्ता अप्रार्थी)

—: आदेश :— दिनांक :—14.06.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पैरोकार सरकार रसद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ़ के आदेशानुसार अवैध एलपीजी घरेलु टंकियों के व्यवसाय एवं भण्डारण पर रोकथाम के क्रम में जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ एवं प्रर्वतन निरीक्षण प्रतापगढ़ एवं दल द्वारा दिनांक 21.03.2024 को रामदेव खाद बीज भण्डार धरियावद रोड़ प्रतापगढ़ पर की गई कार्यवाही अन्तर्गत मौके पर कुल 09 गैस सिलेण्डर (इण्डेन कम्पनी के कुल 05 तथा HP कम्पनी के कुल 04 आंशिक रूप से भरे हुए गैस सिलेण्डर) के साथ 01 विद्युत चालित रिफलिंग पम्प, पाया गया।

इस संबंध में दुकान संचालक अप्रार्थी श्री गुडेश सैन से उक्त गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में उपभोक्ता डायरी, बिल वाउचर, एण्ड भण्डारण का कारण एवं भण्डारण के संबंध में कोई अनुज्ञा पत्र, अनुमति संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य तलब किये गये जिनका कोई जवाब/दस्तावेज अप्रार्थी प्रस्तुत नहीं कर पाया। अप्रार्थी द्वारा सघन आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से भण्डारित अत्यंत घातक एवं प्रलब दुर्घटना कारित सामग्री के दुरूपयोग कर एलपीजी आदेश 2000 खण्ड 6 की अवहेल्ना होने के कारण उक्त 09 अवैध घरेलु गैस सिलेण्डर एवं अन्य रिफिलिंग सामग्री को मौके पर आद्या इण्डेन गैस एजेंसी प्रतापगढ़ के प्रतिनिधी श्री तुलसीराम को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सुपुदर्गी में दिए गए है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 A के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 09 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 20.27 किलोग्राम एलपीजी गैस एवं 1 विद्युत चालित रिफिलिंग पम्प को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होते हुए वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रस्तुत किये गये।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई दौराने बहस उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अप्रार्थी के यहाँ से जब्त गैस सिलेण्डर एवं अन्य रिफिलिंग सामग्री का आवश्यक वस्तु अधिनियम में विहित् प्रावधानों के विपरीत भण्डारित एवं रिफलिंग कार्य कर रहा था। जो किसी भी विधि में मान्य नहीं है और न

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

उसे ऐसी सामग्री भण्डारित करने का अधिकार है। अतः विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को संपुष्ट फरमाते हुए जब्तशुदा सामग्री को राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।

इसी क्रम में उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का खण्ड़न करते हुए एवं प्रस्तुत जवाब के हवाले से अवगत कराया गया कि अप्रार्थी के यहाँ से जब्त सामग्री 09 एलपीजी घरेलु गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के सामाजिक कार्यक्रम हेतु लाये हुए थे। जिनकी समस्त डायरिया अप्रार्थी के पास है उक्त गैस सिलेण्डर के स्वामियों की बुकींग डायरियों की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को लौटाने की मांग की गई। तथा जब्तशुदा रिफलिंग मोटर अप्रार्थी का नहीं होना बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज करने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2024, संलग्न फर्द अभिग्रहण व सुपुर्दगीनामा, जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2024, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बुकिंग डायरी प्रतियां तथा प्रस्तुत न्यायायिक विनिश्चय प्रति के साथ प्रकरण पर प्रचलित विधियों के साथ गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में वर्णित कथनों अनुसार रसद विभाग जांच दल द्वारा अप्रार्थी के यहाँ की गई कार्यवाही एवं जब्त सामग्री अत्यधिक विस्फोटक होकर अवैधानिक तरिके से भण्डारण एवं रिफलिंग करने के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में विहित् प्रावधानों तथा आवश्यक वस्तु वितरण एवं विनिमय नियमों के विरूद्ध संधारित होना दर्शित होता है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस के अनुसार उक्त एलपीजी गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के नहीं होकर सामाजिक कार्यक्रम में उपयोग उपभोग करने हेतु अन्य मिलने वालों का होना बताया गया किन्तु गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के अधिकार को साबित नहीं करता है और वक्त जब्ती कार्यवाही के दौरान उक्त गैस सिलेण्डर की डायरिया जांच अधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

अप्रार्थी के यहाँ से जब्त सामग्री में गैस रिफलिंग पम्प के प्राप्त होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी द्वारा ऐसी विस्फोटक सामग्री को बिना किसी सक्षम अधिकार और सेफटी मेजर को अपनाये रिफलिंग करना जाहीर होता है। जिससे घरेलु गैस सिलेण्डरों के आबादी क्षेत्र में भण्डारण एवं रिफलिंग को किसी भी माध्यम से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अप्रार्थी घरेलु गैस सिलेण्डर का पंजीकृत विक्रेता अथवा परिवहन एवं भण्डारण अभिकर्ता होने का कोई प्रमाण भी प्रस्तुत करने में असफल रहा है। इसलिए प्रार्थी रसद विभाग जांच दल द्वारा की गई कार्यवाही विधि संगत की गई है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी के यहाँ से जब्त सामग्री को राजसात की जाकर विधिवत् वितरण प्रणाली में उपयोग करने हेतु संबंधित कम्पनी को अन्तरित करने का आदेश प्रदान किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ